

आदेश -

जनपद चमोली में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार ग्वाड़-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण से प्रभावित होने वाली 2.200 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.400 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी० /06/ 18 / 2021/एफ०सी०/928 दिनांक 29.10.2021 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी० /06/18/2021/एफ०सी०/928 दिनांक 29.10.2021 की शर्त सं०-3(क) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार ग्वाड़-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण से प्रभावित होने वाली 2.200 है० वन भूमि के एवज में ग्राम ग्वाड़, रा०उ०नि० क्षेत्र कनखुल, तहसील कर्णप्रयाग की ख०खा०सं०-21 के खसरा सं०-1469 रकबा 4.546 है० भूमि मध्ये 4.400 है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII (II) /2012-18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(हिमांशु खुराना),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 3827/छब्बीस-18 (2021-2022) गोपेश्वर: दिनांक: 11 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, चमोली/कर्णप्रयाग।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गौचर।

Reader (Sdm. court) / R.K.

जिलाधिकारी,
चमोली।

Sdm. (R.P.S.)
29.4.2022

रा०उ०नि० कनखुल/कण्डारा

रूपमा सम्बन्धित राजस्व कर्मिलेको
ने इन्द्राज गुरु स्वर्तोनी नमस्ते
प्रमाणित मा. मा. मा. उपलब्ध मा. मा.

9(3)(उ.) → अन्य कृषि योग्य बांजर भूमि

2	3	4	5
बांजर		2	0.080
उत्तरखण्ड		5	16.955
सरकार		6	9.959
		xx	xxx
		xx	xxx
		91	0.010
		94	0.020
		109	0.011
		414	0.024
		441	0.003
		xx	xxx
		xx	xxx
		xx	xxx
		1412	0.006
		1413	0.009
		1436	0.045
		1469	4.546
		xx	xxx
		xx	xxx
		2266	0.095
		2268	1.119
योग		152	95.274

6 10 13

आदेश

मुख्य आदेशीमाना - जिलाधिकारी - लखनखुल
तमोली के कृषि योग्य 1581 दिनांक
13 (2021-2022) बांजर : दिनांक
11 अप्रैल 2022 के क्रम में कृषि विभाग
की स्वीकृति सं. 21 के स्वसं. सं. 1461
रकबा 4.546 हे. में 4.400 हे. भूमि
जो कि MZA श्रेणी 9(3)(उ.) अन्य
कृषि योग्य बांजर भूमि के रूप में दर्ज
है को लखनखुल के महल में शामिल
हस्तांतरण किए जाने की स्वीकृति
आज्ञादेश सं. 2173/1/111/10/12-12-
13(120)/2022 दिनांक 17 दिसम्बर
2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।
तदनुसार अमलदरामद किया।

21/04/22
रा.उ.नि.
लखनखुल

महल MZA स्वतंत्री असल से नोंद कर किया

प्रति हस्ताक्षरित।



नीतू खाली
रा.उ.नि. Kankhal
तहसील 1179 (तमोली)